भारतीय विधिक चिंतन और संवैधानिक मूल्यों के आलोक में भारत–इजराइल राजनीतिक साझेदारी का विश्लेषणः धर्म, न्याय और रणनीतिक सहयोग का तुलनात्मक अध्ययन

प्रो0 रचना श्रीवास्तव
प्राचार्या
ए पी सेन मेमोरियल गर्ल्स स्नाकोत्तर कॉलेज, लखनऊ

श्रीहर्ष यादव
शोधार्थी
ए पी सेन मेमोरियल गर्ल्स स्नाकोत्तर कॉलेज, लखनऊ

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 02.03.26
Approved: 23.07.26

प्रो0 रचना श्रीवास्तव
श्रीहर्ष यादव

भारतीय विधिक चिंतन और संवैधानिक मूल्यों के आलोक में भारत–इजराइल राजनीतिक साझेदारी का विश्लेषणः धर्म, न्याय और रणनीतिक सहयोग का तुलनात्मक अध्ययन

Vol. XVII, Sp. Issue Aug. 2026
Article No.24, Pg. 180-185
Similarity Check: 11%

Online available at
https://anubooks.com/special-issues?url=jgv-si-apsmgpc-lkn-2026

DOI: *https://doi.org/10.31995/jgv.2026.v17iSI08.024*

सारांश

यह शोधपत्र "भारतीय विधिक चिंतन और संवैधानिक मूल्यों के आलोक में भारत–इजराइल राजनीतिक साझेदारी का विश्लेषणः धर्म, न्याय और रणनीतिक सहयोग का तुलनात्मक अध्ययन" विषय पर केंद्रित है। अध्ययन का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि भारत की समकालीन विदेश नीति, विशेषकर भारत और इजराइल के मध्य विकसित राजनीतिक एवं रणनीतिक संबंधों में भारतीय विधिक परंपरा और संवैधानिक मूल्यों का किस सीमा तक प्रभाव परिलक्षित होता है। भारतीय विधिक चिंतन में 'धर्म' और 'न्याय' की अवधारणा शासन की नैतिक आधारशिला मानी गई है। प्राचीन ग्रंथों जैसे अर्थशास्त्र में राज्य को लोककल्याणकारी और न्याय–आधारित संस्था के रूप में चित्रित किया गया है। इसी परंपरा का आधुनिक स्वरूप भारतीय संविधान में 'न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता' के मूल्यों के रूप में अभिव्यक्त होता है। भारत–इजराइल साझेदारी, रक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, तकनीकी नवाचार और रणनीतिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में निरंतर सुदृढ़ हुई है। यद्यपि इस संबंध को यथार्थवादी अंतरराष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है, तथापि यह शोध दर्शाता है कि भारतीय विदेश नीति में नैतिक–संवैधानिक मूल्यों का अंतःप्रवाह भी विद्यमान है। अध्ययन का निष्कर्ष यह है कि भारत–इजराइल राजनीतिक साझेदारी केवल सामरिक हितों का परिणाम नहीं, बल्कि भारतीय विधिक–नैतिक परंपरा और आधुनिक संवैधानिक दर्शन के समन्वय का उदाहरण भी है। इस प्रकार यह संबंध आदर्शवाद और यथार्थवाद के संतुलित मॉडल को प्रस्तुत करता है।

मुख्य शब्दः *भारतीय विधिक चिंतन, धर्म, न्याय, संवैधानिक मूल्य, भारत–इजराइल संबंध, रणनीतिक साझेदारी, विदेश नीति।*

**This article has been peer-reviewed by the Review Committee of JGV.*

https://doi.org/10.31995/jgv.2026.v17iSI08.024

प्रस्तावना

भारतीय विधिक चिंतन की परंपरा अत्यंत प्राचीन, समृद्ध और दार्शनिक रूप से गहन रही है। भारतीय राजनीतिक एवं विधिक विचारधारा में 'धर्म' और 'न्याय' को शासन की मूल आधारशिला के रूप में स्वीकार किया गया है। यहाँ 'धर्म' का आशय केवल धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि सामाजिक कर्तव्य, नैतिक आचरण, दायित्वबोध और समष्टिगत संतुलन से है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों विशेषकर अर्थशास्त्र में राज्य को लोककल्याण, सुरक्षा और न्याय की स्थापना करने वाली संस्था के रूप में परिभाषित किया गया है। कौटिल्य के अनुसार राजधर्म का प्रमुख उद्देश्य प्रजा की सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करना है। इसी प्रकार स्मृति–परंपरा में न्याय को सामाजिक व्यवस्था की स्थिरता का आधार माना गया। आधुनिक काल में यही दार्षनिक परंपरा संवैधानिक रूप में विकसित होकर भारतीय संविधान में अभिव्यक्त हुई। संविधान की प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को राष्ट्र–निर्माण के मूल मूल्य के रूप में स्थापित करती है। इस प्रकार भारतीय विधिक चिंतन और संवैधानिक मूल्यों के बीच एक ऐतिहासिक निरंतरता दृष्टिगोचर होती है, जहाँ नैतिकता और विधिकता परस्पर पूरक तत्व के रूप में कार्य करते हैं। दूसरी ओर, समकालीन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति–संतुलन, राष्ट्रीय हित और रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण आयाम बन चुके हैं।

भारत की विदेश नीति ने स्वतंत्रता के पश्चात आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है। पंचशील, गुटनिरपेक्षता और अंतरराष्ट्रीय शांति का समर्थन भारतीय संवैधानिक मूल्यों से प्रेरित रहे हैं, जबकि सुरक्षा और सामरिक हितों की रक्षा के लिए व्यावहारिक रणनीतियाँ भी अपनाई गई हैं। इसी संदर्भ में इजराइल के साथ भारत की राजनीतिक और रणनीतिक साझेदारी एक महत्वपूर्ण अध्ययन विषय बन जाती है। रक्षा सहयोग, कृषि नवाचार, जल प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में दोनों देशों के संबंध निरंतर सुदृढ़ हुए हैं। यह सहयोग केवल सामरिक आवश्यकताओं का परिणाम नहीं है, बल्कि पारस्परिक विश्वास और दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टिकोण पर आधारित है।

यहाँ मूल प्रश्न यह उभरता है कि क्या भारत–इजराइल राजनीतिक साझेदारी पूर्णतः यथार्थवादी अंतरराष्ट्रीय राजनीति का उदाहरण है, या फिर इसमें भारतीय विधिक–नैतिक परंपरा और संवैधानिक मूल्यों का भी कोई अंतर्निहित प्रभाव विद्यमान है। क्या 'धर्म' और 'न्याय' की भारतीय अवधारणा विदेश नीति के निर्णयों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित होती है? यह शोधपत्र इसी द्वंद्व आदर्शवाद और यथार्थवाद, नैतिकता और राष्ट्रीय हित के बीच संतुलन की पड़ताल करता है। तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से यह अध्ययन सैद्धांतिक आयाम (भारतीय विधिक चिंतन और संवैधानिक मूल्य) तथा व्यवहारिक आयाम (भारत–इजराइल रणनीतिक सहयोग) को एक साथ जोड़ने का प्रयास करता है। इस प्रकार यह शोध भारतीय विदेश नीति की वैचारिक पृष्ठभूमि और समकालीन रणनीतिक व्यवहार के मध्य अंतर्संबंधों को स्पष्ट करने की दिशा में एक अकादमिक प्रयास है।

शोध का विषय चयन

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में अंतरराष्ट्रीय संबंधों का स्वरूप तीव्र गति से परिवर्तित हो रहा है, जहाँ रणनीतिक साझेदारी, रक्षा सहयोग और तकनीकी कूटनीति प्रमुख आयाम बन चुके हैं। ऐसे समय में भारत और इजराइल के मध्य विकसित राजनीतिक एवं रणनीतिक संबंध विशेष महत्व रखते हैं। यह संबंध केवल सामरिक हितों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि बहुआयामी सहयोग जैसे रक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और नवाचार तक विस्तृत हैं। दूसरी ओर, भारतीय राजनीतिक परंपरा और विधिक चिंतन में 'धर्म' और 'न्याय' को शासन और नीतिनिर्माण का नैतिक आधार माना गया है। प्राचीन दार्शनिक दृष्टिकोण से लेकर आधुनिक संवैधानिक व्यवस्था तक यह निरंतरता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जिसका संस्थागत रूप भारतीय संविधान में परिलक्षित होता है। इन्हीं दो आयामों भारतीय विधिक–नैतिक परंपरा और समकालीन रणनीतिक साझेदार के मध्य अंतर्संबंधों को समझने की जिज्ञासा ने इस विषय के चयन को प्रेरित

किया है। सामान्यतः विदेश नीति का अध्ययन यथार्थवादी दृष्टिकोण से किया जाता है, किंतु इस शोध में यह विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है कि क्या भारत–इजराइल राजनीतिक साझेदारी में भारतीय संवैधानिक मूल्यों और विधिक चिंतन का कोई प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। अतः यह विषय समकालीन अंतरराष्ट्रीय राजनीति और भारतीय वैचारिक परंपरा के समन्वित अध्ययन की दृष्टि से प्रासंगिक, नवीन तथा शोधोन्मुख है।

उद्देष्य

1. भारतीय विधिक चिंतन में 'धर्म' और 'न्याय' की अवधारणाओं का सैद्धांतिक विश्लेषण करना।
2. भारतीय संविधान में निहित न्याय, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता जैसे मूल्यों की व्याख्या करना।
3. भारत–इजराइल राजनीतिक एवं रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख आयामों (रक्षा, आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग) का अध्ययन करना।
4. भारत–इजराइल संबंधों का तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए यह परीक्षण करना कि इन संबंधों में भारतीय संवैधानिक मूल्यों और विधिक–नैतिक परंपरा का किस सीमा तक प्रभाव परिलक्षित होता है।
5. आदर्शवाद (नैतिकता) और यथार्थवाद (राष्ट्रीय हित) के मध्य संतुलन की भूमिका को स्पष्ट करना।

महत्व

1. यह भारतीय विधिक चिंतन और भारतीय संविधान के मूल्यों को समकालीन विदेश नीति से जोड़ता है।
2. यह आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच संतुलन की व्याख्या करता है।
3. यह भारत–इजराइल संबंधों के अध्ययन को केवल सामरिक दृष्टिकोण से हटाकर नैतिक–वैचारिक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।
4. यह शोध अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में भारतीय दृष्टिकोण (Indian Perspective) को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है।
5. नीति–निर्माताओं, शोधार्थियों और अकादमिक जगत के लिए यह अध्ययन संदर्भात्मक महत्व रखता है।

शोध की परिधि

यह शोध भारतीय विधिक चिंतन, संवैधानिक मूल्यों तथा भारत–इजराइल के मध्य विकसित राजनीतिक एवं रणनीतिक साझेदारी के अंतर्संबंधों के विश्लेषण तक सीमित है। अध्ययन का उद्देश्य संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय राजनीति का व्यापक मूल्यांकन करना नहीं है, बल्कि एक विशिष्ट उदाहरण के माध्यम से यह समझना है कि भारतीय वैचारिक विधिक परंपरा समकालीन विदेश नीति में किस प्रकार परिलक्षित होती है। इस शोध की सैद्धांतिक परिधि भारतीय विधिक चिंतन में निहित 'धर्म' और 'न्याय' की अवधारणाओं तक विस्तृत है, जिन्हें प्राचीन ग्रंथों, दार्शनिक परंपराओं तथा आधुनिक संवैधानिक मूल्यों के संदर्भ में विश्लेषित किया गया है। विशेष रूप से भारतीय संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांतों को अध्ययन का वैचारिक आधार बनाया गया है। व्यवहारिक परिधि के अंतर्गत भारत–इजराइल संबंधों के प्रमुख आयाम राजनीतिक संवाद, रक्षा सहयोग, आर्थिक संबंध, कृषि एवं जल प्रबंधन, साइबर सुरक्षा तथा प्रौद्योगिकी साझेदारी का विश्लेषण किया गया है। यह शोध इन संबंधों का पूर्ण ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करने के बजाय समकालीन संदर्भ में उनकी प्रकृति, उद्देश्य और प्रभाव का तुलनात्मक परीक्षण करता है। यह अध्ययन न तो केवल दार्शनिक विमर्श तक सीमित है और न ही मात्र सामरिक विश्लेषण तकय बल्कि यह दोनों के मध्य सेतु स्थापित करने का प्रयास करता है। तथापि, शोध की सीमा यह है कि इसमें व्यापक सांख्यिकीय विश्लेषण या प्रत्यक्ष क्षेत्रीय सर्वेक्षण सम्मिलित नहीं है, बल्कि मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों, सरकारी दस्तावेजों, आधिकारिक वक्तव्यों तथा अकादमिक साहित्य पर आधारित विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

https://doi.org/10.31995/jgv.2026.v17iSI08.024

अनुसंधान प्रश्न

प्रस्तुत शोध में भारतीय विधिक चिंतन, संवैधानिक मूल्यों तथा भारत–इजराइल राजनीतिक साझेदारी के मध्य अंतर्संबंधों को समझने के लिए निम्नलिखित अनुसंधान प्रश्न निर्धारित किए गए हैं। ये प्रश्न अध्ययन की दिशा और विश्लेषण की रूपरेखा को स्पष्ट करते हैं–

1. भारतीय विधिक चिंतन में 'धर्म' और 'न्याय' की अवधारणाएँ किस प्रकार परिभाषित और विकसित हुई हैं?
2. भारतीय संविधान में निहित संवैधानिक मूल्य भारतीय विदेश नीति को किस सीमा तक प्रभावित करते हैं?
3. भारत–इजराइल राजनीतिक एवं रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख आयाम क्या हैं?
4. क्या भारत–इजराइल संबंध केवल राष्ट्रीय हित आधारित यथार्थवादी दृष्टिकोण पर आधारित हैं, अथवा उनमें भारतीय विधिक–नैतिक परंपरा का भी प्रभाव परिलक्षित होता है
5. आदर्शवाद (नैतिकता एवं संवैधानिक मूल्य) और यथार्थवाद (रणनीतिक हित) के मध्य संतुलन भारत की विदेश नीति में किस प्रकार अभिव्यक्त होता है?

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत–इजराइल संबंधों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए स्वतंत्रता उत्तर भारतीय विदेश नीति, पश्चिम एशिया की भू–राजनीतिक परिस्थितियाँ तथा वैश्विक शक्ति–संतुलन की संरचना का सम्यक् विश्लेषण आवश्यक है। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने अपनी विदेश नीति को औपनिवेशिक विरोध, विश्व शांति, गुटनिरपेक्षता और नैतिक कूटनीति के सिद्धांतों पर आधारित किया। इसी कालखंड में 1948 में इजराइल का गठन हुआ, जिसने पश्चिम एशिया की राजनीति को नया आयाम दिया। भारत ने 1950 में इजराइल को औपचारिक मान्यता प्रदान की, किंतु तत्काल पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए। इसका प्रमुख कारण अरब देशों के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध, ऊर्जा–आधारित निर्भरता, तथा घरेलू राजनीतिक–सामाजिक संवेदनशीलताएँ थीं।

भारत की विदेश नीति उस समय गुटनिरपेक्ष आंदोलन से प्रेरित थी, जिसमें उपनिवेशवाद–विरोध और तीसरी दुनिया की एकजुटता प्रमुख तत्व थे। फिलिस्तीन के आत्मनिर्णय के अधिकार के समर्थन ने भी भारत को एक संतुलित और सावधानीपूर्ण नीति अपनाने के लिए प्रेरित किया। शीत युद्ध काल (1947–1991) में भारत की विदेश नीति में आदर्शवादी तत्व अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी रहे। भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर फिलिस्तीन का समर्थन किया, जबकि इजराइल के साथ संबंध सीमित और अनौपचारिक स्तर पर बने रहे। इस अवधि में रक्षा या सामरिक सहयोग सार्वजनिक रूप से बहुत अधिक प्रकट नहीं हुआ। 1991 के पश्चात अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। सोवियत संघ के विघटन और शीत युद्ध की समाप्ति के साथ शक्ति–संतुलन की संरचना बदल गई। इसी समय भारत ने आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई, जिसके परिणामस्वरूप उसकी विदेश नीति अधिक व्यावहारिक और बहुआयामी होती गई। 1992 में भारत और इजराइल के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हुए, जो दोनों देशों के संबंधों में एक निर्णायक मोड़ था।

इक्कीसवीं सदी में वैश्विक आतंकवाद, विशेषकर 9/11 की घटनाओं के बाद, सुरक्षा सहयोग का महत्व बढ़ा। भारत और इजराइल दोनों आतंकवाद से प्रभावित राष्ट्र रहे हैं, जिसके कारण खुफिया साझेदारी और रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई। इजराइल भारत के प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ताओं में शामिल हुआ। मिसाइल प्रणालियाँ, ड्रोन तकनीक, निगरानी उपकरण तथा साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग ने संबंधों को रणनीतिक स्वरूप प्रदान किया। इसके अतिरिक्त कृषि, जल प्रबंधन, सिंचाई तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' जैसे कार्यक्रमों ने कृषि उत्पादकता बढ़ाने में योगदान दिया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान एवं स्टार्टअप सहयोग ने दोनों देशों के संबंधों को केवल रक्षा तक सीमित न रखकर व्यापक आर्थिक एवं तकनीकी आयाम प्रदान किए। हाल के वर्षों में उच्च–स्तरीय यात्राओं ने संबंधों को और सुदृढ़ किया। भारत के प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा और इजराइल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को सार्वजनिक और राजनीतिक मान्यता दी। यह चरण संबंधों के

औपचारिक, खुलकर स्वीकार किए गए और बहुआयामी विस्तार का प्रतीक है। इन ऐतिहासिक परिवर्तनों के समानांतर भारतीय विधिक–राजनीतिक परंपरा भी निरंतर विकसित होती रही।

प्राचीन काल से 'राजधर्म' और 'न्याय' को शासन का आधार माना गया, जिसका आधुनिक संस्थागत स्वरूप भारतीय संविधान में अभिव्यक्त हुआ। संविधान का अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात करता है, जो यह संकेत देता है कि भारत की विदेश नीति केवल शक्ति–संतुलन की राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें नैतिक–संवैधानिक प्रतिबद्धता भी निहित है। अतः ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से स्पष्ट होता है कि भारत–इजराइल संबंध आदर्शवादी विदेश नीति से व्यावहारिक और रणनीतिक दृष्टिकोण की ओर क्रमिक संक्रमण का परिणाम हैं। प्रारंभिक दशकों में वैचारिक झुकावों और अंतरराष्ट्रीय दबावों के कारण संबंध सीमित रहे, किंतु वैश्विक परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ दोनों देशों ने परस्पर हितों के आधार पर निकटता बढ़ाई। फिर भी भारत ने फिलिस्तीन के प्रति समर्थन और इजराइल के साथ सहयोग दोनों को संतुलित रूप से बनाए रखा, जो भारतीय विदेश नीति की विशिष्ट संतुलनकारी प्रकृति को दर्शाता है। इस प्रकार, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भारत–इजराइल राजनीतिक साझेदारी को समझने के लिए एक आवश्यक आधार प्रदान करता है, जिसके माध्यम से सैद्धांतिक (धर्म और न्याय) तथा व्यवहारिक (रणनीतिक सहयोग) आयामों के अंतर्संबंधों का विश्लेषण किया जा सकता है।

विश्लेषण

प्रस्तुत अध्ययन के समग्र विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि भारत–इजराइल राजनीतिक साझेदारी को केवल सामरिक या यथार्थवादी दृष्टिकोण से परिभाषित करना विषय की पूर्णता को नहीं दर्शाता। यद्यपि रक्षा सहयोग, तकनीकी नवाचार, खुफिया साझेदारी, कृषि विकास और आर्थिक हित इस संबंध के महत्वपूर्ण आधार हैं, तथापि इसके पीछे भारतीय विदेश नीति की वैचारिक और संवैधानिक पृष्ठभूमि भी सक्रिय रूप से कार्य करती दिखाई देती है। भारतीय विधिक चिंतन में 'धर्म' और 'न्याय' की अवधारणा राज्य के नैतिक चरित्र को परिभाषित करती है। 'राजधर्म' का आशय केवल प्रशासनिक कर्तव्य नहीं, बल्कि लोककल्याण, संतुलन और उत्तरदायित्व से है। यही विचार आधुनिक रूप में भारतीय संविधान में परिलक्षित होता है, जहाँ न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक को राज्य की मूल प्रतिबद्धता के रूप में स्वीकार किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और सहयोग को प्रोत्साहित करने की बात करता है, जो यह इंगित करता है कि भारत की विदेश नीति केवल शक्ति–संतुलन पर आधारित नहीं है, बल्कि नैतिक दायित्व और वैश्विक उत्तरदायित्व की भावना से भी प्रेरित है। भारत और इजराइल के संबंधों के ऐतिहासिक विकासक्रम से यह स्पष्ट होता है कि भारत ने समय के साथ अपनी विदेश नीति में व्यावहारिकता को बढ़ाया, किंतु अपने मूल वैचारिक सिद्धांतों को पूर्णतः त्यागा नहीं। प्रारंभिक दशकों में फिलिस्तीन के समर्थन और गुटनिरपेक्ष नीति के कारण संबंध सीमित रहे, किंतु शीत युद्ध के पश्चात बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत ने रणनीतिक हितों के अनुरूप इजराइल के साथ सहयोग को सुदृढ़ किया। फिर भी भारत ने फिलिस्तीन के प्रति अपने समर्थन को समाप्त नहीं किया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विदेश नीति में संतुलन और नैतिकता का तत्व अभी भी विद्यमान है। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो यह साझेदारी आदर्शवाद और यथार्थवाद के मध्य एक समन्वित मॉडल का उदाहरण प्रस्तुत करती है। एक ओर राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नति जैसे ठोस रणनीतिक हित हैं, वहीं दूसरी ओर संवैधानिक मूल्यों, अंतरराष्ट्रीय शांति और संतुलन की प्रतिबद्धता भी समानांतर रूप से कार्य करती है।

निष्कर्ष

इस शोध का व्यापक निष्कर्ष यह है कि भारतीय विदेश नीति को समझने के लिए उसके दार्शनिक और विधिक आधारों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। भारत–इजराइल राजनीतिक साझेदारी इस तथ्य को पुष्ट करती है कि भारत की अंतरराष्ट्रीय भूमिका केवल शक्ति–राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी नीति का अनुसरण करता है जिसमें नैतिकता, वैचारिक निरंतरता और राष्ट्रीय हित तीनों का संतुलित समावेश होता है। अंततः यह कहा जा

https://doi.org/10.31995/jgv.2026.v17iSI08.024

सकता है कि भारत–इजराइल संबंध भारतीय विदेश नीति के विकास, परिपक्वता और संतुलन का प्रतीक हैं। यह संबंध न तो पूर्णतः आदर्शवादी है और न ही पूर्णतः यथार्थवादी, बल्कि दोनों के मध्य एक व्यवहारिक समन्वय प्रस्तुत करता है। यही समन्वित दृष्टिकोण भारतीय विधिक चिंतन और संवैधानिक मूल्यों की ऐतिहासिक निरंतरता को समकालीन वैश्विक राजनीति में प्रासंगिक बनाता है।

संदर्भ

1. आंबेडकर, भीमराव रामजी. (1936). एनिहिलेशन ऑफ कास्ट. स्वप्रकाशित।
2. ऑस्टिन, ग्रैनविल. (1966). द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनः कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
3. ऑस्टिन, ग्रैनविल. (1999). वर्किंग अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनः द इंडियन एक्सपीरियंस. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
4. बसु, डी. डी. (2015). इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया (22वां संस्करण). लेक्सिसनेक्सिस।
5. दीक्षित, जे. एन. (2003). इंडियन फॉरेन पॉलिसी. पिकस बुक्स।
6. जैन, एम. पी. (2014). इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ (7वां संस्करण). लेक्सिसनेक्सिस।
7. कश्यप, सुभाष सी. (2016). आवर कॉन्स्टिट्यूशन. नेशनल बुक ट्रस्ट।
8. कुमारस्वामी, पी. आर. (2010). इंडियाज इजराइल पॉलिसी. कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस।
9. मेनन, शिवशंकर. (2016). चॉइसेजः इनसाइड द मेकिंग ऑफ इंडिया'ज फॉरेन पॉलिसी. पेंगुइन रैंडम हाउस।
10. नेहरू, जवाहरलाल. (1946). डिस्कवरी ऑफ इंडिया. सिग्नेट प्रेस।
11. पंत, हर्ष वी. (2016). इंडियन फॉरेन पॉलिसीः एन ओवरव्यू. मैनोहर पब्लिशर्स।
12. सेन, अमर्त्य. (2009). द आइडिया ऑफ जस्टिस. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
13. सिकरी, राजीव. (2009). इंडियाज फॉरेन पॉलिसीः चौलेंजेज एंड स्ट्रैटेजी. सेज पब्लिकेशन्स।
14. भारत सरकार, विदेश मंत्रालय. (2017). भारत–इजराइल संयुक्त वक्तव्य. नई दिल्लीः भारत सरकार।
15. भारत सरकार, विदेश मंत्रालय. (2023). भारत–इजराइल द्विपक्षीय संबंध. नई दिल्लीः भारत सरकार।
16. संयुक्त राष्ट्र. (1948). मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा. न्यूयॉर्क।
17. संयुक्त राष्ट्र. (1966). नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय वाचा. न्यूयॉर्क।
18. इजराइल की संसद (नेसेट). (1992). बेसिक लॉज ऑफ इजराइल. जेरूसलम।